कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
बस्तर संभाग जगदलपुर छ0ग0

क्रमांक / सं.यु. / लेखा / निविदा / 2019 / 653 जगदलपुर, दिनांक 6 / 8 / 2019

सूचना पटल

वाहन किराये हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालनालय नया रायपुर के निर्देशानुसार संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर के द्वारा बस्तर संभाग एवं संभाग के बाहर राज्य के दौरे हेतु कार (**SCORPIO/TUV/ NEW Mahindra Bolero**) श्रेणियों के वाहन की आवश्यकता है। उक्त संबंध में उल्लेखित श्रेणियों के वाहन उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों / फर्म जो कि जगदलपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के निवासी हो / फर्म का कार्यालय जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थापित हो से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्यालयीन दिवस पर 10.30 से संध्या 5.30 बजे तक रूपये 500/– (पॉच सौ रूपये मात्र) निविदा प्रपत्र मूल्य नगद जमा कर जो नॉन रिफंडेबल है प्राप्त किये जा सकते हैं, निविदाकार निविदा भरते समय यह बात ध्यान में रखेंगे की निविदा से संबंधित भौतिक प्रपत्र एक लिफाफे में तथा वित्तीय प्रपत्र दूसरे लिफाफे में भरकर वित्तीय पत्र उक्त लिफाफे में अंकित करना अनिवार्य है उक्त दोनो लिफाफे को एक बड़े आकार के लिफाफे में भरकर सील बंद कर कार्यालय के निविदा पेटी में जमा करेंगे निविदा का प्रारूप बस्तर जिले की शासकीय वेबसाईट **www.bastar.gov.in** पर भी देखे जा सकते हैं ।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि : 31 अगस्त 2019 को दोपहर 5.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 05 सितम्बर 2019 को दोपहर 5.00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि : 06 सितम्बर 2019 को अपरान्ह 3.00 बजे

6.8.19

संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें,
बस्तर संभाग (छ.ग.)

किराये पर वाहन लिये जाने हेतु आवश्यक शर्तें :

1. निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम अतिम तिथि : 31/08/2019 को दोपहर 05.00 बजे तक निर्धारित है।
2. निविदा मुहरबंद लिफाफे में अंतिम तिथि : 05/09/2019 को दोपहर 5.00 बजे तक स्वीकार किये जावेंगे।
3. निविदा खोले जाने की तिथि : 06/09/2019 को अपरान्ह 3.00 बजे से
4. निविदा 1 वर्ष तक के लिये वैद्य होगी।
5. निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/– रूपये पॉच सौ रूपये जो कि कार्यालय में नगद जमा की जावेगी जिसकी रसीद कार्यालय द्वारा तत्काल प्रदान किया जावेगा ।
6. निविदाकर्ता को अमानत राशि रूपये 5,000/– पांच हजार डी.डी. जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक का हो एवं **Joint Director Health Services Bastar Division Jagdalpur A/c No.- 32551746511** के नाम से देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
7. निविदाकर्ता का GST पंजीयन होना चाहिए । (यदि संबधित नियम के दायरे में आते हों) कर विभाग द्वारा जारी किये गए GST पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. असफल निविदाकर्ता के अमानत राशि की डी.डी. मूलतः उन्हें वापस कर दी जावेगी एवं सफल निविदाकर्ता के अमानत राशि निविदा की वैध तिथि तक संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग के खाते में जमा रखी जावेगी, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
9. निविदाकर्ता व्यक्ति/फर्म/फर्म के संचालक के नाम से न्यूनतम एक वाहन जीप/कार श्रेणी की पंजीकृत होना अनिवार्य है। जो कि टैक्सी/व्यवसायिक उपयोग हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। जिसका विवरण पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निविदा प्रपत्र में लिखा जाना अनिवार्य होगा।
10. निविदाकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिन वाहनों का मालिक है केवल उन्ही वाहनों के लिये निविदा भर सकेगा, अन्य वाहनों के लिये दिये गये प्रस्ताव अमान्य होंगे। निविदाकर्ता फर्म के लिये यह शर्त शिथिल होगी, अर्थात निविदाकर्ता फर्म सभी श्रेणीयों के अनुबंधित वाहनों के लिये निविदा भर सकते हैं।
11. निविदाकर्ता नगर पालिक निगम क्षेत्र जगदलपुर के निवासी हो/फर्म का कार्यालय जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थापित हो इस संबंध में अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकर्ता को पैन कार्ड की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
13. निविदा दर भारतीय मानक रूपये में अंकित किये जावे।
14. अपूर्ण एवं ओवर रायटिंग की स्थिति में निविदा निरस्त किया जा सकेगा।
15. किराये पर दिये जाने वाले वाहन नये मॉडल/मेक का ही स्वीकार किया जावेगा किसी भी स्थिति में 05 वर्ष से पुराने मेक के वाहन स्वीकार नहीं किये जावेगें।
16. विभागीय अधिकारियों के किराये पर वाहन उपयोग किये जाने के पश्चात उपयोगकर्ता अधिकारी के अभिप्रमाणित लॉगबुक की प्रति के साथ ही देयक स्वीकार किये जावेंगे।
17. वाहन प्रदायकर्ता के लिये यह बाद्धयता होगी कि वह विभागीय आवश्यकतानुसार समय पर वाहन उपलब्ध करायें, जो कि एक घण्टे पूर्व मौखिक/लिखित सूचना पर उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।
18. विभागीय अधिकृत कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा समय समय पर मौखिक/लिखित रूप में वाहन किराये पर परिस्थिति अनुसार मंगाये जा सकेंगे।

19. विभागीय अधिकृत कार्यक्रम अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पृथक से विभाग प्रमुख संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग के द्वारा समय–समय पर जारी किया जावेगा। जिसकी सूचना वाहन प्रदायकर्ता को लिखित उपलब्ध करा दी जावेगी।
20. वाहन प्रदायकर्ता को अनिवार्य रूप से देयक प्रति माह 05 तारीख के पूर्व समस्त वाहन उपयोगकर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षरित लॉगबुक एवं कार्यादेश की प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी भुगतान प्रचलित आयकर नियमानुसार कटौती उपरांत ही भुगतान किये जावेंगे।
21. निविदा प्रस्ताव वाहन के प्रति/ए.सी.दर कि.मी. के हिसाब से भरा जावेगा एवं तुलनात्मक विवरण उसी आधार पर निर्धारित कर सफल उम्मीदवार घोषित किया जावेगा ।
22. निविदाकार एवं संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें एवं वाहन मालिक के बीच 50 रू. के स्टाम पेपर पर एम.ओ.यू. तैयार किया जावेगा जिसमें दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर रहेगें यह बांड हेतु खर्च वाहन मालिक वहन करेगें ।
23. वाहन चलाने की प्रतिदिन की दूरी निर्धारित यात्रा संबंधित अधिकारी निर्धारित करेगें ।
24. सेवा प्रदाता एजेन्सी के पास पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन ड्रॉयवर की उपलब्धता हो। इस आशय से प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) संलग्न किये जायें। ड्रॉयवर के पास जीवित एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है।
25. किसी भी स्थिति में उपरोक्त शर्तो के पूरा नहीं किये जाने वाले निविदाकर्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार व निरस्त किया जा सकेगा।
26. निविदा प्रक्रिया किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने का संपूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास होगा ।
27. वाहन किराया एक मुश्त 45000/–(पैतालिस हजार मात्र) प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है उक्त राशि में डीजल+वाहन+वाहन चालक आदि का भुगतान उक्त राशि में समाहित है इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
28. वाहन के टूट–फूट या किसी प्रकार की आकस्मिक घटना की जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन मालिक की होगी ।
29. वाहन चालक के पास स्वयं के वैध लायसेंस होने चाहिए तथा रोड टैक्स/गुडस टैक्स/टोल टैक्स आदि वाहन मालिक को स्वयं करना होगा ।
30. किराया का भुगतान नियमानुसार आयकर की कटौती कर भुगतान की जावेगी ।
31. वाहन में पर्याप्त मात्रा मे ईंधन रहना आवश्क है तथा नियमित वाहन या वाहन चालक के व्यवस्था न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था वाहन/वाहन चालक की वाहन मालिक को करनी पड़ेगी ।
32. लगातार 2 दिनों तक अनुपस्थित रहने से किराया में कटौती की जावेगी ।
33. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो 1.आर.सी.बुक 2.इंशोरेंश 3. पेनकार्ड 4.प्रदुषण प्रमाण पत्र 5.टैक्सी परमीट 6.आधार कार्ड 7.ड्राविंग लाईसेस 8.डी.डी.5000.00 9. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र ।

6.8.19

संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें,
बस्तर संभाग. (छ.ग.)